न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 849 / 2005 / दौसा

भोमा राम पुत्र झुथा गुर्जर निवासी गाउण्डी तहसील बसंवा जिला दौसा राजस्थान
———अपीलांटस

बनाम

1—जनसी प्रसाद पुत्र भांडू जाति बैरवा निवासी गाउण्डी तहसील बसंवा जिला दौसा राजस्थान
2—राजस्थान सरकार जरिये आवंटन सलाहकार समिति तहसील बसंवा जरिये अध्यक्ष उप जिला कलक्टर बांदीकुई
——रेस्पोडेंटस

एकल पीठ
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः—
श्री पूर्णाशंकर अभिभाषक अपीलांट
रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 16—7—18

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—1—2004 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गाडण्डी में स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 80 रकबा 5 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 567, 682, 981 / 929 कुल किता 3 रकबा 1.26 हेक्टर भूमि को आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन करने के बजाय अपीलांट के कब्जे शुदा भूमि को ही रेस्पोडेंट संख्या एक जन्सी पुत्र भांडू को दिनांक 2—6—89 को आवंटन कर दिया। जबकि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही है। उक्त आवंटन के विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या दो तहसीलदार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष नियम 14(4) के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर बतया कि नियम 14(3) के तहत आवंटित करते समय आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अतिरिक्त कलक्टर दौसा ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 29—1—2004 के द्वारा आवंटन खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध रेस्पेडेंट संख्या एक ने विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिसे उन्होने अपने आदेश दिनांक 12—10—2004 के द्वारा स्वीकार

करते हुए आवंटन को बहाल किये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर हस्तगत अपील भौमाराम अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में पेश की गयी है, अपील के साथ प्रार्थनापत्र धारा 96 सीपीसी अपील पेश करने की इजाजत चाही गयी है। दौराने बहस रेस्पोडेंट की ओर से बार बार आवाज दिलाई गई, कोई उपस्थित नही है।

3— अपीलांट के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य बहस यह है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन से पूर्व अपीलांट मौके पर काबिज है एवं आज भी उसी का विवादित आराजी पर कब्जा है। आवंटी को ना तो कभी आवंटन के बाद कब्जा दिया गया एवं ना ही उसने कभी कब्जा लेने का प्रयास किया इसलिए जब उसका कब्जा कभी नही रहा है तो उसके भूमि का उपयोग करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। ऐसी सूरत में नियम 14(8) क के तहत कागजी आवंटन को किसी भ सूरत में यथावत नही रख जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि आवंटन नियमों के नियम 20 में वर्णित प्रावधानानुसार वादग्रस्त भूमि का नियमन अपीलांट को किया जाना चाहिए था। अन्त में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12—10—04 को निरस्त किया जावे।

5— अपीलांट के अभिभाषक की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गाडण्डी में स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 80 रकबा 5 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 567, 682, 981 / 929 कुल किता 3 रकबा 1.26 हेक्टर बने है का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या एक जन्सी पुत्र भांडू को दिनांक 2—6—89 को किया गया है। उक्त आवंटन के विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या दो तहसीलदार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थनापत्र नियम 14(4) के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अतिरिक्त कलक्टर दौसा ने अपने आदेश दिनांक 29—1—2004 के द्वारा तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या दो के पक्ष में दिनांक 2—6—89 को किये गये आवंटन को निरस्त किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट भोमाराम ने इस न्यायलय में अपील पेश कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कराने का निवेदन किया है। साथ ही उसके द्वारा अपील पेश करने की धारा 96 सीपीसी के तहत इजाजत चाही गयी है। अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि वह विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही काबिज है और आवंटी

को आवंटन के बाद उक्त आराजी का कभी कब्जा भी नही दिया गया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का पुराना कब्जा होने के कारण वह नियम 20 के तहत नियमन कराने का अधिकारी हैं ,परन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आवंटन को बहाल रखने में कानूनी त्रुटि की है। हम विद्वान वकील अपीलांट के उक्त तर्को से सहमत नही है क्योकि अतिक्रमी / अपीलांट को विवादित आराजी का आवंटन / नियमन कराने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं क्योकि कि उसने विवादित आराजी को आवंटन अथवा नियमन कराने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत नही किया है और ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध जिससे कि उसका विवादित आराजी पर अतिक्रमण रहा हो और उसके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हुई हो, इसलिए अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नही माना जा सकता है। जब वह किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार ही नही है तो उसको हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार भी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 96 सीपीसी को खारिज किया जाना उचित समझते है।

7— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने खारिज किया जाता है साथ ही अपीलांट व्यथित पक्षकार नही होने से उसकी ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील को भी खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन)

सदस्य

अपील / एल.आर. / 849 / 2005 / दौसा

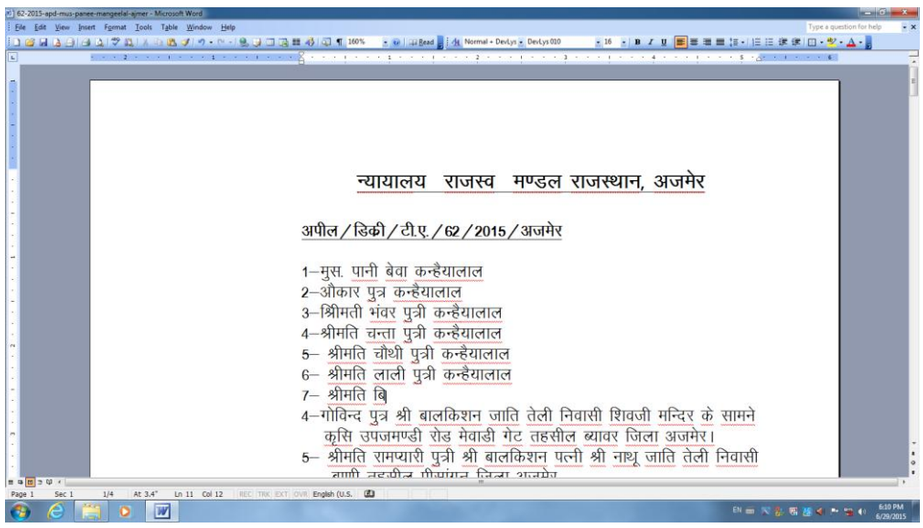

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिकी / टी.ए. / 62 / 2015 / अजमेर

1–मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2–औकार पुत्र कन्हैयालाल
3–श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4–श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5– श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6– श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7– श्रीमति बि
4–गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने कृसि उपजमण्डी रोड मेवाडी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5– श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य
श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः–
(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।
(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से

अपील/एल.आर./849/2005/दौसा

(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–1–10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–10–08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53–183–188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21–7–07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1–4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 के विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो0

1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199 / 07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–1–08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17 / 08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21–10–08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3 / 09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण / रैस्पो. को 1 / 2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–4–2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–4–2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एस. गर्ग)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य